

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

मांग संख्या 60

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

क. वस्तुओं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | | संशोधित 2015-2016 | | | बजट 2016-2017 | | |
|--|--------------------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|-------------------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| राजस्व | 3039.01 | 19.56 | 3058.57 | 3592.78 | 25.33 | 3618.11 | 3592.78 | 23.20 | 3615.98 | 3660.00 | 27.25 | 3687.25 |
| पूँजी | 30.00 | ... | 30.00 | 120.00 | ... | 120.00 | 120.00 | ... | 120.00 | 140.00 | ... | 140.00 |
| जोड़ | 3069.01 | 19.56 | 3088.57 | 3712.78 | 25.33 | 3738.11 | 3712.78 | 23.20 | 3735.98 | 3800.00 | 27.25 | 3827.25 |
| ब.अ. 2016-2017 | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय | 2251 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.59 | 13.59 |
| 2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग | 2225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7.67 | 7.67 |
| 3. शैक्षिक अधिकारिता | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 मैट्रिक पूर्व अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति | 2225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 880.47 | ... | 880.47 |
| | 2552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 41.50 | ... | 41.50 |
| | 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9.00 | ... | 9.00 |
| | 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 |
| | जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 931.00 | ... | 931.00 |
| 3.02 मैट्रिक पश्च अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति | 2225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 514.98 | ... | 514.98 |
| | 2552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30.00 | ... | 30.00 |
| | 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.00 | ... | 5.00 |
| | 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.02 | ... | 0.02 |
| | जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 550.00 | ... | 550.00 |
| 3.03 स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम योग्यता और साधन आधारित छात्रवृत्ति | 2225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 311.10 | ... | 311.10 |
| | 2552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20.00 | ... | 20.00 |
| | 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.80 | ... | 3.80 |
| | 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.10 | ... | 0.10 |
| | जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 335.00 | ... | 335.00 |
| 3.04 अल्पसंख्यक निःशुल्क कोचिंग और सहायक योजना | 2225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45.00 | ... | 45.00 |

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | | संशोधित 2015-2016 | | | बजट 2016-2017 | | |
|--|--------------------|--------------|------|---------------|--------------|------|-------------------|--------------|------|---------------|--------------|---------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| 3.05 यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग आदि द्वारा संचालित प्रारंभिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों को सहायता | 2225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.60 | ... | 3.60 |
| | 2552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.40 | ... | 0.40 |
| | जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.00 | ... | 4.00 |
| 3.06 विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षणिक ऋण पर व्याज इमदाद | 2235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.00 | ... | 4.00 |
| 3.07 मौलाना आजाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक छात्र अध्येतावृत्ति | 2225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 75.00 | ... | 75.00 |
| | 2552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.00 | ... | 5.00 |
| | जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 80.00 | ... | 80.00 |
| जोड़- शैक्षिक अधिकारिता | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1949.00 | ... | 1949.00 |
| 4. कौशल विकास | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4.01 सीखो और कमाओ - कौशल विकास पहलकदमियां | 2225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.23 | ... | 0.23 |
| | 2235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 194.77 | ... | 194.77 |
| | 2552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15.00 | ... | 15.00 |
| | जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 210.00 | ... | 210.00 |
| 4.02 परम्परागत कला/शिल्प विकास में कौशल और प्रशिक्षण का स्तरोन्नयन | 2235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20.00 | ... | 20.00 |
| | 2552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20.00 | ... | 20.00 |
| 4.03 नई मंजिल, समेकित शिक्षा और आजीविका पहलकदमी (नई योजना) | 2225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 155.00 | ... | 155.00 |
| जोड़- कौशल विकास | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 385.00 | ... | 385.00 |
| 5. विशेष अल्पसंख्यक वर्ग कार्यक्रम | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5.01 लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आवादी थामने वाली योजना | 2235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.00 | ... | 2.00 |
| 5.02 अल्पसंख्यक महिला नेतृत्व विकास योजना | 2235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.50 | ... | 13.50 |
| | 2552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.50 | ... | 1.50 |
| | जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15.00 | ... | 15.00 |
| 5.03 अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित संस्कृति और विरासत के संरक्षण और रक्षण के लिए हमारी धरोहर | 2225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11.00 | ... | 11.00 |
| 5.04 अनुसंधान/अध्ययन, प्रचार सहित अल्पसंख्यक विकास योजनाओं का | 2235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45.00 | ... | 45.00 |

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | | संशोधित 2015-2016 | | | बजट 2016-2017 | | |
|--|--------------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|-------------------|--------------|-------|---------------|--------------|---------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| अनुवीक्षण और मूल्यांकन | | | | | | | | | | | | |
| 2552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45.00 | ... | 45.00 |
| जोड़- विशेष अल्पसंख्यक वर्ग कार्यक्रम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 73.00 | ... | 73.00 |
| 6. स्वायत्त निकाय अनुदान | | | | | | | | | | | | |
| 6.01 मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सहायता अनुदान | 2225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 113.00 | ... | 113.00 |
| 6.02 एनएमडीएफसी की इक्विटी में अंशदान | 4225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 126.00 | ... | 126.00 |
| 4552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14.00 | ... | 14.00 |
| जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 140.00 | ... | 140.00 |
| 6.03 एनएमडीएफसी कार्यक्रम में कार्यान्वयन के लिए लगे हुए राज्य प्रणालियन अभिकरणों को सहायता अनुदान | 2225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.80 | ... | 1.80 |
| 2552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.20 | ... | 0.20 |
| जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.00 | ... | 2.00 |
| 6.04 अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण और राज्य वक्फ बोर्ड का सुदृढीकरण | 2235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12.20 | 3.18 | 15.38 |
| 2552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.80 | ... | 0.80 |
| जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.00 | 3.18 | 16.18 |
| 6.05 भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी | 2225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.81 | 2.81 |
| जोड़- स्वायत्त निकाय अनुदान | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 268.00 | 5.99 | 273.99 |
| 7. अल्पसंख्यक विकास: अल्पसंख्यकों हेतु बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम | 2225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6.50 | ... | 6.50 |
| 2552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 115.25 | ... | 115.25 |
| 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 991.75 | ... | 991.75 |
| 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11.50 | ... | 11.50 |
| जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1125.00 | ... | 1125.00 |
| सं.अ. 2015-2016 | | | | | | | | | | | | |
| 8. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं | 2251 | 0.88 | 10.31 | 11.19 | 1.49 | 11.50 | 12.99 | 1.45 | 11.88 | 13.33 | ... | ... |
| अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण | | | | | | | | | | | | |
| 9. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान | 2225 | 113.00 | ... | 113.00 | 113.00 | ... | 113.00 | 113.00 | ... | 113.00 | ... | ... |
| 10. अल्पसंख्यकों के लिए नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध स्कीम | 2225 | 31.49 | ... | 31.49 | 45.00 | ... | 45.00 | 45.00 | ... | 45.00 | ... | ... |

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | | संशोधित 2015-2016 | | | बजट 2016-2017 | | |
|---|--------------------|--------------|---------|---------------|--------------|--------|-------------------|--------------|---------|---------------|--------------|------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़ | 31.49 | ... | 31.49 | 45.00 | ... | 45.00 | 45.00 | ... | 45.00 | ... | ... | ... |
| 11. अल्पसंख्यकों के लिए विकास स्कीमों के प्रचार सहित अनुसंधान/ अध्ययन, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन | 2225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2235 | 32.24 | ... | 32.24 | 44.75 | ... | 44.75 | 44.75 | ... | 44.75 | ... | ... | ... |
| जोड़ | 32.24 | ... | 32.24 | 44.75 | ... | 44.75 | 44.75 | ... | 44.75 | ... | ... | ... |
| 12. स्नातक पूर्व एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्तियां | 2225 | 378.59 | ... | 378.59 | 309.10 | ... | 309.10 | 309.10 | ... | 309.10 | ... | ... |
| 3601 | 2.76 | ... | 2.76 | 5.80 | ... | 5.80 | 5.80 | ... | 5.80 | ... | ... | ... |
| 3602 | 0.03 | ... | 0.03 | 0.10 | ... | 0.10 | 0.10 | ... | 0.10 | ... | ... | ... |
| जोड़ | 381.38 | ... | 381.38 | 315.00 | ... | 315.00 | 315.00 | ... | 315.00 | ... | ... | ... |
| 13. अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति | 2225 | 0.82 | ... | 0.82 | 979.97 | ... | 979.97 | 979.97 | ... | 979.97 | ... | ... |
| 3601 | 1125.25 | ... | 1125.25 | 10.00 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 10.00 | ... | ... | ... |
| 3602 | 2.77 | ... | 2.77 | 0.03 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.03 | ... | ... | ... |
| जोड़ | 1128.84 | ... | 1128.84 | 990.00 | ... | 990.00 | 990.00 | ... | 990.00 | ... | ... | ... |
| 14. अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति | 2225 | 499.53 | ... | 499.53 | 541.18 | ... | 541.18 | 541.18 | ... | 541.18 | ... | ... |
| 3601 | 1.78 | ... | 1.78 | 8.80 | ... | 8.80 | 8.80 | ... | 8.80 | ... | ... | ... |
| 3602 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.02 | ... | 0.02 | 0.02 | ... | 0.02 | ... | ... | ... |
| जोड़ | 501.32 | ... | 501.32 | 550.00 | ... | 550.00 | 550.00 | ... | 550.00 | ... | ... | ... |
| 15. चुनिंदा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम | 2225 | 0.56 | ... | 0.56 | 7.64 | ... | 7.64 | 7.64 | ... | 7.64 | ... | ... |
| 3601 | 766.44 | ... | 766.44 | ... | ... | ... | 991.75 | ... | 991.75 | ... | ... | ... |
| 3602 | 1.20 | ... | 1.20 | ... | ... | ... | 12.00 | ... | 12.00 | ... | ... | ... |
| जोड़ | 768.20 | ... | 768.20 | 7.64 | ... | 7.64 | 1011.39 | ... | 1011.39 | ... | ... | ... |
| 16. अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति | 2225 | 0.12 | ... | 0.12 | 44.85 | ... | 44.85 | 50.31 | ... | 50.31 | ... | ... |
| 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़ | 0.12 | ... | 0.12 | 44.85 | ... | 44.85 | 50.31 | ... | 50.31 | ... | ... | ... |
| 17. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएम्डीएफसी) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगे राज्य प्रणालयन अभिकरणों (एससीए) को सहायता अनुदान | 2225 | 2.00 | ... | 2.00 | 1.80 | ... | 1.80 | 1.80 | ... | 1.80 | ... | ... |
| 18. संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, | 2225 | 2.96 | ... | 2.96 | 3.60 | ... | 3.60 | 3.60 | ... | 3.60 | ... | ... |

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | | संशोधित 2015-2016 | | | बजट 2016-2017 | | |
|--|--------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| राज्य लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सहायता | | | | | | | | | | | | |
| 19. मौलाना आजाद चिकित्सा सहायता योजना | 2225 | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20. हमारी धरोहर | 2225 | 4.99 | ... | 4.99 | 10.01 | ... | 10.01 | 10.01 | ... | 10.01 | ... | ... |
| 21. नई मंजिल | 2225 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | ... |
| जोड़-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण | | 2966.54 | ... | 2966.54 | 2125.66 | ... | 2125.66 | 3134.87 | ... | 3134.87 | ... | ... |
| अन्य सामाजिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 22. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी | 2225 | ... | 1.74 | 1.74 | ... | 3.09 | 3.09 | ... | 1.93 | 1.93 | ... | ... |
| | 2250 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़ | | ... | 1.74 | 1.74 | ... | 3.09 | 3.09 | ... | 1.93 | 1.93 | ... | ... |
| 23. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग | 2225 | ... | 6.70 | 6.70 | ... | 7.56 | 7.56 | ... | 6.71 | 6.71 | ... | ... |
| | 2250 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़ | | ... | 6.70 | 6.70 | ... | 7.56 | 7.56 | ... | 6.71 | 6.71 | ... | ... |
| जोड़-अन्य सामाजिक सेवाएं | | ... | 8.44 | 8.44 | ... | 10.65 | 10.65 | ... | 8.64 | 8.64 | ... | ... |
| सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | | | | | | | | | | | | |
| 24. अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास योजना | 2235 | 13.99 | ... | 13.99 | 14.13 | ... | 14.13 | 14.13 | ... | 14.13 | ... | ... |
| 25. बक्फ को सहायता अनुदान | 2235 | ... | 2.75 | 2.75 | ... | 3.15 | 3.15 | ... | 2.65 | 2.65 | ... | ... |
| 26. राज्य बक्फ बोर्ड के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण | 2235 | 3.00 | ... | 3.00 | 2.70 | ... | 2.70 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27. केंद्रीय बक्फ परिषद को सहायता अनुदान | 2235 | ... | ... | ... | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | ... |
| 28. राज्य बक्फ बोर्डों का सुदृढीकरण | 2225 | 3.95 | ... | 3.95 | 6.08 | ... | 6.08 | 4.08 | ... | 4.08 | ... | ... |
| | 2235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़ | | 3.95 | ... | 3.95 | 6.08 | ... | 6.08 | 4.08 | ... | 4.08 | ... | ... |
| 29. विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता | 2235 | 3.50 | ... | 3.50 | 4.19 | ... | 4.19 | 4.19 | ... | 4.19 | ... | ... |
| 30. कौशल विकास कार्यक्रम | 2225 | 0.19 | ... | 0.19 | 0.23 | ... | 0.23 | 0.23 | ... | 0.23 | ... | ... |
| | 2235 | 46.02 | ... | 46.02 | 64.22 | ... | 64.22 | 176.73 | ... | 176.73 | ... | ... |
| जोड़ | | 46.21 | ... | 46.21 | 64.45 | ... | 64.45 | 176.96 | ... | 176.96 | ... | ... |
| 31. लघु अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या गिरावट को नियंत्रित करने की योजना | 2235 | 0.50 | ... | 0.50 | 2.00 | ... | 2.00 | 1.25 | ... | 1.25 | ... | ... |
| 32. यूएसटीटीएडी (परम्परागत कला/शिल्प के विकास हेतु कौशल और परीक्षण का उन्नयन) | 2235 | 0.44 | ... | 0.44 | 17.01 | ... | 17.01 | 17.01 | ... | 17.01 | ... | ... |
| 33. सरकारी उद्यमों में निवेश | 4225 | 30.00 | ... | 30.00 | 108.00 | ... | 108.00 | 108.00 | ... | 108.00 | ... | ... |

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | | संशोधित 2015-2016 | | | बजट 2016-2017 | | |
|---|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 101.59 | 2.75 | 104.34 | 218.56 | 3.18 | 221.74 | 325.62 | 2.68 | 328.30 | ... | ... | ... |
| 34. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान | 2552 | ... | ... | 111.07 | ... | 111.07 | 238.84 | ... | 238.84 | ... | ... | ... |
| | 4552 | ... | ... | 12.00 | ... | 12.00 | 12.00 | ... | 12.00 | ... | ... | ... |
| | जोड़ | ... | ... | 123.07 | ... | 123.07 | 250.84 | ... | 250.84 | ... | ... | ... |
| राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजना | | | | | | | | | | | | |
| 35. अल्पसंख्यकों के लिए बहु क्षेत्रक विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) | 2552 | ... | ... | 127.75 | ... | 127.75 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 3601 | ... | ... | 1104.25 | ... | 1104.25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 3602 | ... | ... | 12.00 | ... | 12.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | जोड़ | ... | ... | 1244.00 | ... | 1244.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36. वास्तविक वसूलियां | 2225 | ... | -1.91 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 2251 | ... | -0.03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | जोड़ | ... | -1.94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| कुल जोड़ | 3069.01 | 19.56 | 3088.57 | 3712.78 | 25.33 | 3738.11 | 3712.78 | 23.20 | 3735.98 | 3800.00 | 27.25 | 3827.25 |
| विकास शीर्ष | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ |
| ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश | | | | | | | | | | | | |
| 32.01 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम | 22225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ग. योजना परिव्यय | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्रीय योजना: | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं | 22251 | 0.88 | ... | 0.88 | 1.49 | ... | 1.49 | 1.45 | ... | 1.45 | ... | ... |
| 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण | 22225 | 2934.30 | ... | 2934.30 | 2080.91 | ... | 2080.91 | 3090.12 | ... | 3090.12 | 2261.63 | 2261.63 |
| 3. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 22235 | 133.83 | ... | 133.83 | 263.31 | ... | 263.31 | 370.37 | ... | 370.37 | 291.47 | 291.47 |
| 4. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 22552 | ... | ... | ... | 123.07 | ... | 123.07 | 250.84 | ... | 250.84 | 243.65 | 243.65 |
| जोड़ - केन्द्रीय योजना | 3069.01 | ... | 3069.01 | 2468.78 | ... | 2468.78 | 3712.78 | ... | 3712.78 | 2796.75 | ... | 2796.75 |
| राज्य योजना: | | | | | | | | | | | | |
| 1. अल्पसंख्यकों हेतु बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रम | 43601 | ... | ... | ... | 1232.00 | ... | 1232.00 | ... | ... | ... | 991.75 | 991.75 |
| जोड़ - राज्य योजना | ... | ... | ... | 1232.00 | ... | 1232.00 | ... | ... | ... | 991.75 | ... | 991.75 |

| | विकास शीर्ष | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| संघ राज्य क्षेत्र योजना : | | | | | | | | | | | | | |
| संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. अल्पसंख्यकों हेतु बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रम | 43602 | ... | ... | ... | 12.00 | ... | 12.00 | ... | ... | ... | 11.50 | ... | 11.50 |
| जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना | | ... | ... | ... | 12.00 | ... | 12.00 | ... | ... | ... | 11.50 | ... | 11.50 |
| जोड़ | | 3069.01 | ... | 3069.01 | 3712.78 | ... | 3712.78 | 3712.78 | ... | 3712.78 | 3800.00 | ... | 3800.00 |

- सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय पर व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए यह प्रावधान है।
- शैक्षिक सशक्तिकरण:**
 - अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा X तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।
 - अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है, जो तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित कक्षा 11 और 12 के छात्र के लिए योग्यता और साधन मानदंड को पूरा करते हैं और इसे ऐसे पात्र अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र को उचित प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालय में पीएच.डी स्तर सहित स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर सामान्य पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने पर भी यह छात्रवृत्ति मिलती है।
 - स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति:** यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन विद्यार्थियों को दी जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति से संबंधित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।
 - निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान, कौशल में वृद्धि करके उन्हें सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सहायता करना है।

3.05. संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता: इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (पीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की समूह 'क' और 'ख' की प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए सिविल सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना है जो इस समय देश में जनसंख्या में अल्पसंख्यकों के अनुपात से काफी कम है।

3.06. विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज इमदाद: इस नई योजना को विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गए अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋणों पर ब्याज इमदाद प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

3.07. अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम०फिल० तथा पी०एच०डी० जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करने का है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शामिल किया गया है। अध्येतावृत्ति नियमित और पूर्णकालिक एम०फिल० तथा पी०एच०डी० पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत शोध छात्रों को प्रदान की जा रही यूजीसी अध्येतावृत्ति के अनुरूप है।

4. कौशल विकास:

4.01. सीखो और कमाओ: इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों जिनके पास कोई कौशल नहीं है, को कौशल प्रदान करते हुए समग्र उन्नति के लिए शहरी और ग्रामीण आजीविका में सुधार करना है। जिनके पास पहले ही कौशल है उनके लिए इस योजना का उद्देश्य उनके रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए उनके कौशल का उन्नयन करना और उन्हें प्रत्यय-पत्र प्रदान करना भी है, ताकि अपने उद्यमों का विस्तार करने में सहायता के लिए ऐसे व्यक्तियों की ऋण तक पहुंच हो सके।

4.02. विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद): हमारे देश की परंपरागत कलाओं और शिल्पों को संरक्षित करने तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित परंपरागत दस्तकारों/शिल्कारों के क्षमता निर्माण के लिए उस्ताद (विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नयन) नामक एक नई योजना अनुमोदित की गई है। यह योजना एक तरफ देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित करेगी तथा दूसरी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ संबंध स्थापित करेगी तथा श्रमिक की प्रतिष्ठा सुनिश्चित करेगी।

4.03. **नई मंजिल:** योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:- (i) नई मंजिल का उद्देश्य गरीब अल्पसंख्यक युवकों को रचनात्मक तरीके से संबद्ध करना और सतत् तथा लाभप्रद रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता करना है जिससे उन्हें मुख्य धारा की आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़ने में सुविधा हो सके। (ii) अल्पसंख्यक समुदायों से उन युवकों को प्रेरित करना जो स्कूल ड्रापआउट हैं और उन्हें 8वीं अथवा 10वीं कक्षा तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) या राज्य सरकार की अन्य मुक्त विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से औपचारिक शिक्षा और प्रमाण-पत्र प्रदान करना। (iii) बाजार संचालित कौशलों में युवकों को एकीकृत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। (iv) प्रशिक्षित युवकों में से कम से कम 70% का ऐसी नौकरियों में प्लेसमेंट कराना जिससे उन्हें बुनियादी न्यूनतम मजदूरी मिले और उन्हें भविष्य निधि तथा ईएसआई आदि जैसी अन्य सामाजिक संरक्षण हकदारियां प्रदान की जा सकें। (v) स्वास्थ्य तथा जीवन कौशलों में जागरूकता और सुग्राहिता पैदा करना।

5. **अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रम:**

5.01. **छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की घटती जनसंख्या को रोकने की योजना:** इस योजना को सहायता-अनुदान के रूप में 100% केन्द्रीय वित्त-पोषण के साथ एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना को संबंधित छोटे अल्पसंख्यक समुदाय के संगठनों/एनजीओ/सोसाइटियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की घटती जनसंख्या के रूझान को रोकना है।

5.02. **अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रगति के लाभ वंचित महिलाओं तक पहुंचें, ऐसी महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे अपने घर और समुदाय के दायरे से बाहर आने में सक्षम हो सकें और विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के अधीन उन्हें उपलब्ध सेवाओं, कौशल और अवसरों के आकलन में नेतृत्व की भूमिका निभा सकें।

5.03. **हमारी धरोहर:** "हमारी धरोहर" नामक योजना भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के अंतर्गत भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करेगी।

5.04. **विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन:** इसका उद्देश्य 15 सूत्री कार्यक्रम सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं का अध्ययन, मूल्यांकन और मॉनीटर करने तथा मंत्रालय के कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों के लिए गहन मल्टी-मीडिया अभियान चलाना है।

6. **स्वायत्त निकायों को अनुदान:**

6.01. **मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता-अनुदान:** मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर-राजनीतिक, गैर-लाभ अर्जक सोसाइटी सामाजिक सेवा संगठन है जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी समेकित निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज ही प्रतिष्ठान की आय का स्रोत है। प्रतिष्ठान की योजनाएं मौजूदा संस्थानों के विस्तार और उन्नयन तथा पिछड़े अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति में सुधार करने के लिए हैं।

6.02. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम में अंशदान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को शेयर पूंजी प्रदान करने के लिए है।

6.03. **एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता- अनुदान:** **राष्ट्रीय:** अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपने कार्यों का संचालन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से करता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान उनकी क्षमताओं और प्रचालनों को सद्दृढ़ करने के लिए दिया जाता है।

6.04. **राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण का सुदृढीकरण:** यह योजना वक्फ से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा अपनी 9वीं रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के अनुसरण में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अधीन राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढीकरण के लिए एक सहायता-अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव है। राज्य वक्फ बोर्डों के कार्य-निष्पादन में सुधार से वक्फ संपत्तियां संसाधन पैदा कर सकती है जिन्हें गरीब मुस्लिमों के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

6.05. **भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी:** भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए यह प्रावधान है।

7. **अल्पसंख्यकों का विकास: अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम(एमएसडीपी):** यह एक क्षेत्र विशेष विकास कार्यक्रम है। इस बहु-क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सापेक्ष रूप से पिछड़ी अत्यधिक अल्पसंख्यक आवादी वाले चुनिन्दा अल्पसंख्यक बहुत ब्लाकों/कस्बों/ग्राम समूहों में विकास हास का निराकरण करना है।